संख्या :4611/1–10–2011–14(23)/04

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 24 दिसम्बर, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दैवी आपदा राहत कार्य के अन्तर्गत बाढ़ राहत कार्य हेतु लगाये नावों के किराये के मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–529/दै0आ0–2011–12, दिनांक 05.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दैवी आपदा राहत कार्य के अन्तर्गत बाढ़ राहत कार्य हेतु लगायी गई नावों के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रू0–8,500/–(रूपये आठ हजार पॉच सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की धनराशि शासनादेश संख्या–3253/1–10– 2008–12(73)/2008, दिनॉक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं–अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं–सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश दिनॉक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश दिनॉक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के

माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या–4464/1–10–2008–114(45)/2003, दिनॉक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/– तक की धनाशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/– से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. वर्ष 2011–12 में कृषि निवेश मद में वितरण 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 4611(1)/1–10–2011–14(23)/04, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त ।

6–वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।

8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नैकपाल वर्मा)
उप सचिव।

344 Awantan Yadav Ji